



जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स माधव एन्टरप्राइजेज़, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का रेफरेन्स नम्बर 20221000067505, क्षेत्रफल 1.4146 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 179592 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 15.4249 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 14, 15, एवं 84 निकट ग्राम- संग्रामपुरा, तहसील- देवली, जिला टोंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवली, जिला टोंक की अध्यक्षता में दिनांक 22.10.2024 को प्रातः 11:30 बजे पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण-

जन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/7986 दिनांक 21.08.2024 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ-बूंदी/पी.यू.बी.-116/917-923 दिनांक 21.08.2024 के अनुपालना में मैसर्स माधव एन्टरप्राइजेज़, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना का रेफरेन्स नम्बर 20221000067505, क्षेत्रफल 1.4146 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 179592 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 15.4249 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 14, 15, एवं 84 निकट ग्राम- संग्रामपुरा, तहसील- देवली, जिला टोंक (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 22.10.2024 को आयोजित की गई। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/15210 दिनांक 22.10.2024 के संशोधित आदेश द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक को उक्त जनसुनवाई हेतु अधिकृत किया गया।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र दैनिक ताज भारती के संस्करण में दिनांक 14.09.2024 एवं द इण्डीयन एक्सप्रेस के संस्करण में दिनांक 13.09.2024 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।



जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् मनोज कुमार मीना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवली, तहसील देवली, जिला टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार परिवेश एन्वायर्नमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, के तकनीकी सलाहकार श्री गौरीशंकर के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का चित्रण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् मनोज कुमार मीना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवली, जिला टोंक की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते हैं।


इसी क्रम में श्री दीपक, ग्रामवासी सग्रामपुरा द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा प्रस्तावित पौधारोपण होना चाहिए, सड़के सुरक्षित रहनी चाहिए, वाहनों की ऑवर लोडिंग नहीं की जाये।


श्री. राजा दानजा, ग्रामवासी बीजवार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। इनके द्वारा सामाजिक एवं गांव के विकास हेतु इनका सहयोग रहता है और साधारणपण किया जाता है। अतः इस परियोजना से हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अंत में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

अंत में श्रीमान मनोज कुमार मीना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवली, जिला टोंक की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा उपर्युक्त ग्रामवासियों/जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।


मनोज कुमार मीना
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
देवली, जिला टोंक (राज.)
अधिकारी
(टीक)


सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी (राज.)

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स माधव एन्टरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या - 20221000067505, क्षेत्रफल - 1.4146 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता - 179592, निकट ग्राम - संग्रामपुरा, तहसील - देवली, जिला - टोंक की प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल - 15.4249 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :-

स्थान :- पंचायत समिति देवली, तहसील - देवली, जिला - टोंक


दिनांक :- 22.10.2024

समय :- प्रातः 11:30 बजे से

क्र.सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Manoj Kumar Meena SDM. Deoli	
2.	Savita, RO, RSPCB, Bundi	
3.	Rohitash Balai, AEE, RPSB, Bundi	
4.	Pankaj Sattawan, JBE, RPSB, Bundi	
5.	जगदीश, बीजवास	
6.	संजय, बीजवास	
7.	अमृत लाल चण्ड बीजवास	
8.	दीपक कुमार छाकड (बीजवास)	
9.	नौनाराम ठाकुर बीजवास	
10.	शंकर लाल छाकड बीजवास	
11.	जयेश चण्ड बीजवास	
12.	सुकेश चण्ड बीजवास	
13.	मिलाल चण्ड बीजवास	
14.	राजेश नागा केकड	

क्र.सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
15-	सुरेश जाट केवडी	
16.	नरुकिशोर मवदा लला	
17.	इसराज जाट कीठवास	
18.	Deepak Jhat Kojwad	
19.	मनोहर जाट Bismal	
20.	Bijaywan Dulk Kekri	
21.	Chinmay Patak Kekri	
22.	पहली नुवर लाली कीठवास	
23.	चशमर लाली देवाल	
24.	Gani Shula Nmay PESPLD Jhat	
25.	Bhoopendra Prajapat VESPL.	
26.	Sunil Yadav VESPL	
27.	Rajnihi Kumar Sari	
28.	Om Prakash Mehta	
29.	Jai Prakash Amin	
30.	व.नारायण देवी इ.क.ए.ए. 9929025066	
31.	शशीशंकर कीठवास	
32.		
33.		
34.		

the cow's remains were brought out of the building. Sodala SHO Surendra Singh said police are in the process of Regulation of Temporary Migration or Export) Act. Jaipur Municipal Corporation (Heritage) started the demolition of the building. ENS



decorated for PM Narendra Modi's birthday on September 17. ANI

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY (Formerly University of Pune)

Online Applications are invited for the various teaching positions in the University Departments from 14.09.2024 to 06.10.2024

This Advertisement is issued in continuation of the Advertisement No 36, dated 30th December, 2023 for Government Sanctioned Teaching Positions in the various University Departments of the Savitribai Phule Pune University.

For qualifications, experience, reservation and other details, please log in to University website admin.unipune.ac.in/recruitment

Advt. No. 28

Date : 13/09/2024

Prof. (Dr.) Jyoti Bhakare
Offg. Registrar

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रंट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com
RPCB/RO BUNDI/PUB-102/838
Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या 20221000067505, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067505), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.4249 हेक्टेयर " आवेदक मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.4146 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 179592 टीपीए (रोम) जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067505, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मध्य दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्तपरियोजना से सम्बंधित सक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कम्परा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।
अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रंट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com
RPCB/RO BUNDI/PUB-116/917
Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या 20231000075362, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000075362), कुल क्लस्टर क्षेत्र -15.4249 हेक्टेयर " आवेदक मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.2181 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 233520 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000075362, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मध्य दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्तपरियोजना से सम्बंधित सक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कम्परा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024 (मंगलवार) को प्रातः 12:00 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)

Friday 13 Sep 2024, The Indian Express

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रंट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com
RPCB/RO BUNDI/PUB-103/845
Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स दीपक धाकड़, रेफरेंस संख्या 20231000090296, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000090296), कुल क्लस्टर क्षेत्र 24.1056 हेक्टेयर " आवेदक मैसर्स दीपक धाकड़ द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.2397 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 168000 टीपीए (रोम) जो कि रेफरेंस संख्या 20231000090296, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मध्य दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स दीपक धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्तपरियोजना से सम्बंधित सक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कम्परा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान - पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

The Indian Express

कंपनी में बढ़ाई से ज्यादा शेयर

शेयरों के खानदान एवं चर्च में 3 प्रतिशत कर दिया है। बीएसएटि में उसकी हिस्सेदारी 16 के दौरान ओपन मार्केट में शेयरों को सबसे बड़ी बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 7,43,79,924 शेयर यानी 1,56,976 शेयर की खरीदारी को प्रमोटर्स को 37.60 फीसदी की हिस्सेदारी के पास 62.40 फीसदी को आइंआरसीटीसी एक मिनीकॉर्पोरेशन के प्रबंधन करने के लिए आइंसीटी की हिस्सेदारी में यह 1031.45 रुपये पर बंद हुए। शेयर यानी 931.40 रुपये पर है। हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों के 8.17 प्रतिशत से घटकर

विलियरट्रिप ने बस कैटेगरी में दर्ज की 150% की वृद्धि


बैंगलूर। विलियरट्रिप की कंपनी विलियरट्रिप ने अप्रैल 2023 में शुरू की गई अपनी बस सर्विस में 150% की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह बढ़ोतरी खगमर छोटे शहरों में बस यात्रा की बढ़ती मांग को दिखाती है। इसी को देखते हुए, विलियरट्रिप ने बस पास पेश किया था। यह अपनी तरह का पहला ऑफर है, जो बस यात्रा को और किफायती बनाता है। बस पास का उद्देश्य बार-बार यात्रा करने वालों के लिए जैसे की बचत करना और उन्हें एक बेहतर सुविधा प्रदान करना है। विलियरट्रिप के कस्टमर बट्टा से पता चला है कि बस कैटेगरी में अक्सर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है और पिछले 3 महीनों में 32% यूजर्स ने बुकिंग को दोहराया है। तीन महीनों में 15% यूजर्स ने कम से कम तीन बार बुकिंग की है। बस यूजर्स मूल्य

को लेकर भी बड़े शर्च हैं और 75% गाड़ी बुकिंग के दौरान डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदौर-भोपाल, बंगलूर-हैदराबाद, इंदौर-पुणे, चेन्नई-मुंबई और कोयंबटूर-बंगलूर ट्रीप बूट्स हैं जिनकी बुकिंग बार-बार कराई जाती है। ग्राहक बस बुकिंग करते समय 150 रुपये के शुल्क पर बस पास को खरीद सकते हैं। बस पास के फायदे इस प्रकार हैं- ग्राहकों की 300 रुपये के न्यूनतम ऑर्डर वैल्यू पर मौजूदा बुकिंग के लिये तुरंत 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा (दूसरे कूपन्स के अलावा)। एक बस पास से इस डिस्काउंट वाली कीमत पर ग्राहक अधिकतम 5 बुकिंग कर सकते हैं। ग्राहक एक बस पास से अपने खर्च में 500 रुपये की बचत का मजा ले सकते हैं। हर बस पास खरीदी की तारीख से लेकर 90 दिनों तक के लिये वैध होता

है। विलियरट्रिप के चीफ बिजनेस एंड गोथ ऑफिसर अनुज गंडी ने कहा, पिछले एक साल में विलियरट्रिप की बस कैटेगरी में 150% की गानदार वृद्धि हुई है, जो उपभोक्तार्जों की बढ़ती मांग को दर्शाती है। इस बाजार की गहरी समझ के आधार पर ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करें। विलियरट्रिप का बस पास ग्राहकों की बेहतरीन सुविधा और किफायती यात्रा का अनुभव देगा। हमारा लक्ष्य यात्रा को मसला और आसान बनाना है, साथ ही एक भरोसेमंद साथी के रूप में अपनी जगह बनाए रखना है। विलियरट्रिप अपने अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहता है और इसीलिए हमने हाल ही में फ्लिपकार्ट पर बसों की टिकटें बुक करने की नई सुविधा शुरू की है।

मर्तों में की में उपलब्ध

तस्वीरें लेने की क्षमता को नए स्तर पर ले जाता है और आपको रचनात्मक स्वतंत्रता देता है। इसमें क्राड टेली सिस्टम के साथ 5x ऑप्टिकल जूम लेंस दिया गया है, जो 50 MP सेंसर पर काम करता है। इससे 2x, 3x, 5x से लेकर 10x तक के जूम लेवल पर भी आपको ऑप्टिकल क्वालिटी की बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है, और इसका श्रेय एडिप्टिव पिक्सल सेंसर को जाता है। 100x डिजिटल जूम पर ली गई इमेज भी साफ दिखती हैं। अपग्रेड की गई मताओं के साथ, गैलेक्सी स्पेस जूम का इस्तेमाल तस्वीरें और वीडियो हर धेन होते हैं, चाहे आप उन्हें जूम करें। इसका बड़ा ज अब 1.4 µm है, जो % बढ़ा है, जिससे कम ज्यादा लाइट कैप्चर करने में है। S24 अल्ट्रा 6.8 इंच के के साथ आता है, जो न लिए बल्कि काम करने के रीन है। इसमें स्लैड्रैगन 0 8 ल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जिससे AI प्रोसेसिंग और ती है। इसकी 2600 निदस टनेस इसे और भी खास



LIFE
Lifestyle for Environment

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 प्लॉट नं डी-15, इश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
 बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO BUNDI/PUB-103/845
 पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

Date: 21.08.2024

विषय: मैसर्स दीपक धाकड़, रेफरेंस संख्या 20231000090296, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000090296), कुल क्लस्टर क्षेत्र 24.1056 हेक्टेयर" आवेदक मैसर्स दीपक धाकड़ द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.2397 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 168000 टीपीए (रोम) जो कि रेफरेंस संख्या 20231000090296, निकट ग्राम बिजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है सं संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स दीपक धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध हैं।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद् टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण का कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई / 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान - पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

रहे हैं, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो न केवल वैश्विक मोटरस्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समर्पण को प्रदर्शित करता है बल्कि भारत में रेसिंग को प्रोत्साहित भी करता है। पिछले तीन वर्षों में हमने मोबिल उत्पादों से रेसर्स और रेसिंग से जुड़े लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें सुरक्षित बनाना है, जिससे उन्हें अपनी क्षमता को उजागर करने में बड़ी मदद मिली है। आरपीपीएल के अध्यक्ष श्री अखिलेश रेड्डी ने कहा, हम मोबिल के साथ इस सहयोग पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेस को जीवंत करने के लिए रोमांचित हैं। नाइट रेसिंग के उत्साह और ऊर्जा ने हमारे रेसर्स की प्रतिभा और जुनून को प्रदर्शित करते हुए महोत्सव में एक नया आयाम जोड़ा है। F4 और IRL की सभी टीमों को उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए बधाई, और हम भविष्य में भी इसको जारी रखने की उम्मीद करते हैं। इस उत्सव ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है जिसमें बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर, क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली और अभिनेता नागा चैतन्य जैसे सेलिब्रिटी टीम के मालिकों का बड़ा योगदान है।

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नजरों से नहीं बच पाएंगे

नाइजिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कड़े अब क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले इंटरनेशनल टैयारी हो रही है। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क मिलकर क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन को रियल टाइम मॉनिटरिंग से लेने की दिशा में तत्काल पता खोजने से कटा है और किस व्यक्ति या संस्था के भारत चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट और उसे प्राप्त करने वाले की पहचान मांगे जाने अगर कोई संदिग्ध लेनदेन किया जा रहा है, तो संभावना जताई जा रही है कि एफएटीएफ के लागू किया जाएगा। ध्यान रहे कि मास्टर कार्ड, वेस्टर्न यूनियन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट कार्ड के जरिए प्राप्त करते हैं। ग्राहक क्रेडिट कार्ड के जरिए दूसरे खरीदारी कर सकते हैं।

एफएटीएफ के मूल्यांकन में 40 से अधिक और 11 तात्कालिक परिणामों को प्रभावशीलता में मनी लाँडिंग और आतंकी फंडिंग से उत्पन्न के प्रयास काफी प्रभावशाली रहे हैं। भारत ने मनी वार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध पर नकेल

% रही खुदरा महंगाई, मान के नीचे रहे आंकड़े

खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सूचकांक आंकड़ों के अनुसार अगस्त में भारत 11 यह भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति दो शत पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। अगस्त 2024 में शहरी मुद्रास्फीति गिरकर 2023 में यह 6.59% थी। अगस्त 2024 में हो गई, जबकि अगस्त 2023 में यह 7.02% मुद्रास्फीति गिरकर 4.99% हो गई, जबकि थी। वहीं, ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति गिरकर 2023 में यह 9.67% थी। कपड़े, जूते और क्रमशः 2.72% और 2.66% थी।

उपलब्ध होगा, जबकि इसकी असली कीमत 1,29,999 रुपये थी। इस खास कीमत में 8000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक और 12,000 रुपये का अपग्रेड बोनस शामिल है। इसके अलावा, ग्राहक 12,000 रुपये का बैंक कैशबैक भी पा सकते हैं और 74 महीने की बिना ब्याज वाली EMI को विकल्प भी चुन सकते हैं। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ने मोबाइल तकनीक के नए युग में कदम रखा है, जिससे ग्राहकों को गैलेक्सी AI के साथ बहुत कुछ करने की सुविधा मिलती है। इस फोन ने बातचीत को एक नए तरीके से पेश किया है। अब फोन कॉल्स के दौरान लाइव अनुवाद किया जा सकता है, जिसमें दोनों तरफ की आवाज और टेक्स्ट का रियल-टाइम ट्रांसलेशन होता है। इंटरप्रेटर फीचर के जरिए, बातचीत को स्प्लिट-स्क्रीन पर तुरंत अनुवाद किया जा सकता है, और ये फीचर मैसेजिंग और दूसरे ऐप्स पर बिना इंटरनेट के भी काम करता है। चैट असिस्ट फीचर,

बातचीत के दौरान सही और समान बनावट रखने में मदद करता है। सैमसंग कीबोर्ड अब हिंदी समेत 13 भाषाओं में ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट कर सकता है। 'सर्कल टू सर्च' फीचर भी शामिल है, जो यूजर्स के लिए जानकारी खोजना और भी आसान बनाता है। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में प्रोविजुअल इंजन फीचर है, जो AI से पावर्ड टूल्स का एक बेहतरीन सेट है। यह आपकी

और शानदार दिखती है। 100x डिजिटल जूम पर ली गई इमेज भी साफ S24 अल्ट्रा पर ली गई है। अपग्रेड की गई फीचरों के साथ, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में बेहतरीन होते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी जूम करें। इसका बड़ा पिक्सल साइज अब 1.4 μm है, जो पहले से 60% बड़ा है, जिससे कम रोशनी में भी ज्यादा लाइट कैचर करने में मदद मिलती है।

गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 6.8 इंच के प्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, जो न सिर्फ देखने के लिए बल्कि काम करने के लिए भी बेहतरीन है। इसमें सैपडिशन 0.8 जेन 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिससे AI प्रोसेसिंग और भी तेज हो जाती है। इसकी 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे और भी खास बनाती है।



RPCB/RO BUNDI/PUB-116/917

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, इण्डरवरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com



Date: 21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय:- मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या 20231000075362, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रैनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रैनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000075362), कुल क्लस्टर क्षेत्र -15.4249 हेक्टेयर" आवेदक मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित ग्रैनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.2181 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 233520 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000075362, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है सं संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।
अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22-10-2024 (मंगलवार) को दापहर: 12:00 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024(मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com



RPCB/RO BUNDI/PUB-102/838

Date:21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, रेफरेंस संख्या 20221000067505, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067505), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.4249 हेक्टेयर" आवेदक मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.4146 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 179592 टीपीए (रोम) जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067505, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मध्य दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहीं तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माधव इंटरप्राइजेज, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोक नार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद् टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय,
4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत देवली।
9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम देवली तहसील देवली, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.10.2024(मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली तहसील देवली, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी